SHRI TENNETI VISWANATHAM : The West Bengal Government have raised the question whether in view of the Shantilal Mangaldas case, any constitutional amendment is necessary to effect land reforms, and the hon. Minister has said that the Advocate-General or the Attorney-General gave his opinion. What was that opinion ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : The opinion of the law Ministry has been that for the implementation of land reforms, whether it pertains to fixity of tenure or lowering of ceiling limits etc. no constitutional amendment is required, or even for that matter, for making the tillers the owners of the land, no constitutional amendment is required and that the existing measures are adequate.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : What was the opinion given particularly after Shantilal Mangaldas case?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : This is the opinion given. The Law Ministry has said that the existing constitutional provisions are adequate and under them the State Governments are entitled to undertake any such legislation.

श्री रामसेवक यादव : मंत्री महोदय न बताया है कि भूमि के सीमा निर्धारण या उसके बटवारे के बारे में कोई संवैधानिक दिक्कत नहीं है, किसानों को बेदखली से रोका जा सकता है । मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त किसी और राज्य के मंत्री या मुख्य मंत्री ने इस तरह की कुछ दिक्कत उठाई थी और उठाई थी तो वह क्या थी और जो चर्चा इस संबंध में चली, उस पर कोई नोट लिया गया और अगर लिया गया तो क्या उसको सदन पटल पर रखा जाएगा ।

कोई निश्चित अवधि तय हो गई है कि इसके अन्त तक तेजी के साथ सारे भूमि सुधार के कार्यक्रम लागू हो जायेंगे, कानून बन जाएंगे ? अगर हो गई है तो वह क्या है ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : The main question relates only to the letter addressed to the West Bengal Government. But the hon. Member has raised other matters. If you want me to answer it, that is a different matter.

MR. SPEAKER : I have made my observations twice or thrice, but still I find that Members are putting questions which do not arise out of the main question.

SHRI S. M. JOSHI : It is a very vital question.

MR. SPEAKER : The hon. Minister says, as I had observed earlier, that the main question relates only to the letter from West Bengal, and he has asked, how these other questions arise from the main question.

SHRI INDRAJIT GUPTA : According to the reply given, Government have advised the State Government that there is no constitutional difficulty, if the State Government wants to either lower or raise the ceiling. I would like to know whether they also feel that here is no constitutional difficulty if any State Government wants to make the ceiling applicable not to the individual but to a family.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : There is no difficulty.

कार्मिक संघों को मान्यता देने का मान-दंड

*392. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय क्षेत्र में उन संस्थानों की संख्या कितनी है जिनके कार्मिक संघों को मान्यता देने के लिये विधि मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम कर्मचारी संघ तथा भारतीय मानक संस्थान कर्मचारी संघ को मान्यता दे दी गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय भविष्य निधि कर्मचारी संघ को पहले मान्यता प्रदान की गई थी, परन्तु बाद में विधि मंत्रालय द्वारा इसे वापस ले लिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में मान्यता देने तथा उसे वापस लेने के बारे में सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिए कोई केन्द्रीय कानून नहीं है। केन्द्रीय क्षेत्र की ट्रेड यूनियनों को इस समय भारतीय श्रम सम्मेलन (1958) के 16 वें अधिवेशन में स्वीकृत अनुशासन संहिता के अन्तर्गत जो मान्यता दी जाती है वह प्रबंधकों द्वारा सदस्यता की जांच के आधार पर दी जाती है और सदस्यता की जांच विधि मंत्रालय नहीं बल्कि केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा की जाती है। इस प्रकार की जांच करने के पश्चात् केन्द्रीय क्षेत्र की 61 ट्रेड यूनियनों को मान्यता दी जा चुकी है।

(ख) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन कर्मचारी यूनियन तथा इंडियन स्टैंडर्डस इंस्टिट्यूशन कर्मचारी यूनियन क्रमशः स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली और इंडियन स्टैंडर्डस इंस्टिट्यूशन, नई दिल्ली के प्रतिष्ठानों मे, जो कि दोनों राज्य क्षेत्र में है, एकमात्र यूनियनें हैं। यह सूचना प्राप्त हुई है कि संहिता के अन्तर्गत इन दोनों को प्रबन्धकों द्वारा मान्यता दे दी गई है।

(ग) इस यूनियन को मान्यता नहीं दी गई है। इसलिये मान्यता को वापिस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान को छोड़कर, जहां कि इस विषय में राज्य कानून बने हैं, किसी यूनियन को मान्यता देने और उसकी मान्यता को वापस लेने की कसौटी वही है, जो स्वैच्छिक अनुशासन संहिता में निहित है।

श्री शशिभूषण : हमारे देश में लगभग पचास साल का ट्रेड यूनियन मूवमेंट का इतिहास है, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के सम्बन्ध में कोई केन्द्रीय कानून नहीं बना है। वह कानून बनाया जाना चाहिए। केन्द्रीय भविष्य निधि कर्मचारी संघ को मान्यता नहीं दी गई है, जब कि राज्य व्यापार निगम कर्मचारी संघ और भारतीय मानक संस्थान कर्मचारी संघ को मान्यता दे दी गई है, हालाकि उन सबकी स्थिति और व्यवस्था एक सी है। यह बड़ी गलत बात है कि किसी संघ को मान्यता दी जाये और किसी को न दी जाये। हम समाजवाद की ओर जा रहे हैं और हम यह भी चाहते हैं कि जो कर्मचारी हमारे सरकारी संस्थानों में काम करते हैं, उन्हें मैनेजमेंट में हिस्सा दिया जाये। लेकिन उस विषय में भी कोई कानून नहीं बनाया गया है। केन्द्रीय भविष्य निधि कर्मचारी संघ को एक बार मान्यता दे दी गई थी। जब यह मामला विधि मंत्रालय को भेजा गया, तो उन्होंने कहा कि मान्यता दी जा सकती है। लेकिन जब इसको दोबारा विधि मंत्रालय को भेजा गया, तो उसके अनुसार उस संघ को मान्यता नहीं दी गई। जब चाहे किसी संघ को मान्यता दी जाये और जब चाहे उसको वापस ले लिया जाये, यह कैसे चलेगा ?

श्री भागवत झा आजाद : माननीय सदस्य जानते हैं कि इंडियन लेबर कॉनफ्रेंस, जो कि ट्रिपार्टाइट कांफ्रेंस थी, में जो आचार संहिता स्वीकार की गई थी, उसके अनुसार ही इस देश में ट्रेड यूनियनों को मान्यता दी जाती है। उस आचार संहिता को सब राज्यों ने माना है। जिन चार राज्यों का मैंने अभी उल्लेख किया है, उन्होंने इस आचार संहिता को नहीं माना है और इस विषय में उनके अपने कानून हैं। केन्द्रीय भविष्य निधि के बारे में 1966 में जांच की गई थी और विधि मंत्रालय ने कहा था कि वह एक उद्योग है, लेकिन उस का कर्मचारी संघ अधिकार के रूप में मान्यता नहीं ले सकता है। लेकिन जब हम इस विषय पर विचार कर ही

रहे थे, तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, जिसके अन्तर्गत उसको इंडस्ट्री नहीं माना गया । इसलिए उस कर्मचारी संघ को मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठता है । चूंकि उसको मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए उसको वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री शशिभूषण : राज्य व्यापार निगम कर्मचारी संघ और भारतीय मानक संस्थान कर्मचारी संघ को केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत मान्यता दी गई है । जब केन्द्रीय भविष्य निधि कर्मचारी संघ भी उसी तरह की यूनियन है, तो फिर उसको भी मान्यता क्यों नहीं दी गई है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कर्मचारियों को मैनेजमेंट में हिस्सा देने के बारे में केन्द्रीय कानून कब बनेगा ।

श्री भागवत झा आजाद : जैसा कि मैंने बताया है, राज्य व्यापार निगम इंडस्ट्रियल डिसपूट्र्स एक्ट के सेक्शन 2(जे.) के अन्तर्गत एक इंडस्ट्री है, इस लिए उसके कर्मचारी संघ को मान्यता दी गई है, लेकिन चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि को इंडस्ट्री नहीं माना गया है, इसलिए उसके कर्मचारी संघ को मान्यता नहीं दी गई है । एम्पलायर्ज, एम्पलाईज़ और गवर्नमेंट, इन तीन पार्टियों की इंडियन लेबर कांफ्रेंस में जो आचार संहिता स्वीकार की गई थी, उसके अनुसार ट्रेड यूनियनों को मान्यता दी जाती है । जिन चार राज्यों में उनके अपने कानून हैं, वहां उनके अनुसार मान्यता दी जाती है । इसलिए इस बारे में कोई नया कानून लाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

SHRI S. M. BANERJEE : The question relates to criteria for recognition of trade unions. I would like to know whether it has been brought to the notice of the hon. Minister that in West Bengal and Kerala, a trade union Bill is being brought forward under which recognition will be granted to those unions which are representative unions as decided by a secret ballot and only those unions can be termed as organisations or representative unions. Since the main cause of industrial unrest is inter-union rivalry and since the hon. Minister and his predecessor stated in Parliament that they subscribe to this principle of one union in one industry, I would like to know the hon. Minister's reaction to the steps taken by the West Bengal and Kerala Governments and whether that will be followed in the Centre also, whether he will bring legislation to that effect so that the representative union is decided on the basis of the ballot and not based on favouritism for anybody.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : At present recognition is governed by the process of verification. This was an important matter before the Labour Commission for its consideration, but even the Labour Commission did not come to any definite conclusion whether it should be by verification or by secret ballot. They have, instead, recommended an Industrial Relations Commission which should decide whether it should be by verification or secret ballot. We had a meeting of the Indian Labour Conference tripartite committee, the highest in the labour field, in which the consensus was for verification, excepting the representatives of West Bengal and Delhi.

SHRI S. M. BANERJEE : My question has not been answered. I wanted to know the reaction of the Central Government to the proposed legislations in West Bengal and Kerala, if it is favourable and whether they are going to bring similar kind of legislation at the Centre also.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : As I said, this is an important matter which has been considered by the Indian Labour Conference and the consensus here was that verification, as at present prevalent, should be followed. Government is still considering this matter.

SHRI INDRAJIT GUPTA : What was the consensus of the labour unions, say that.

श्री हुकम चन्द कछवाय : अक्सर यह देखा गया है कि सारे देश में सभी उद्योगों में मान्यता उन संघों को दी जाती है, जिनकी बोगस सदस्यता है । इनटक से सम्बन्धित अधिकांश यूनियनें ऐसी ही हैं । क्या सरकार

भविष्य में ऐसी कोई योजना बनाने वाली है कि कर्मचारी संघों को मान्यता वोट के आधार पर दी जाये । सरकार अन्य सब क्षेत्रों में चुनाव कराती है, लेकिन मज़दूरों के क्षेत्र में वह ऐसा नहीं करती है । जिस यूनियन को अधिक वोट मिलें, उसी को मान्यता दी जाये । सरकार द्वारा निर्धारित मेम्बरों आदि की सभी पात्रतायें प्राप्त करने और सब प्रकार की खानापुरी करने के बाद भी भारतीय मज़दूर संघ को अखिल भारतीय स्तर पर मान्यता नहीं दी गई है । उसको बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में मान्यता मिली हुई है, लेकिन उसको अखिल भारतीय स्तर पर मान्यता देने में सरकार के सामने कौन सी दिक्कत है, जब कि उसके पास सब पात्रतायें हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : माननीय सदस्य ने एक बड़ा स्वीपिंग रिमार्क किया है कि जितनी ट्रेड यूनियनों को मान्यता दी गई है, वह बोगस सदस्यता के आधार पर दी गई है । इस बारे में हमारे नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं और उनके अनुसार काम अच्छी तरह से चल रहा है । देश में इनटक, ए० आई० टी० यू० सी०, एच० एम० एस० और अन्य जो भी यूनियनें हैं, उनको इन्हीं नियमों के अनुसार मान्यता दी गई है । मैं समझता हूं कि यह बड़ा गलत चार्ज है कि बोगस सदस्यता के आधार पर यूनियनों को मान्यता दी गई है । मान्यता देने के लिए बिल्कुल सही तरीके से वेरिफिकेशन किया जाता है । भारतीय मज़दूर संघ जिस दिन इन नियमों की सब शर्तों को पूरा करेगा, उस दिन उसको मान्यता दे दी जायेगी ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । भारतीय मजदूर संघ के पास सब प्रकार की पात्रतायें हैं । निजी उद्योगों में और सरकारी क्षेत्र में भी उसकी यूनियनें हैं । 21 नवम्बर को राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मधु लिमये को बुलाया है ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहता हूं कि दो साल पहले ट्रेड यूनियनों को अनिवार्य रूप से मान्यता देने के बारे में और बैलेट के द्वारा उनका चुनाव करने के बारे में मैंने एक विधेयक यहां पर पेश किया था और उसके ऊपर जब बहस हुई थी तो मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि सिद्धांततः मैं इस बात को मानता हूं लेकिन इसके बारे में पहल तभी की जायगी जब नेशनल लेबर कमीशन की रपट आ जायगी । तो अब रपट आ गई है, कमीशन ने इसके खिलाफ कोई राय नहीं दी है जैसा कि आप ने कहा तो क्या आपने पहले जो आश्वासन दिया था कि सिद्धान्ततः हम इसको मानते हैं उसको अमली जामा पहनाने के लिए केन्द्रीय सरकार जल्दी कोई बिल पेश करेगी ।

श्री भागवत झा आजाद : जैसा मैंने कहा कि नेशनल लेबर कमीशन की इन तमाम सिफारिशों के ऊपर हम विचार कर रहे हैं और विचार करने के बाद ही हम कोई निश्चित राय व्यक्त कर सकते हैं ।

श्री मधु लिमये : आपके आश्वासन का क्या हुआ ?

SHRI S. KUNDU : Has the National Labour Commission said that the supremacy of the recognition of the trade union will lead to effective collective bargaining ? Has it suggested that Government should pass suitable legislation as quickly as possible? What is the intention of the Government on bringing legislation to grant recognition to trade unions ?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : As I said, the National Labour Commission have recommended that there should be an industrial relations commission which should decide how recognition should be granted by verification or secret ballot.

Apart from that, if legislation is necessary it can only be considered when we have discussed the matter with all the parties concerned and their opinion is known to the Government.

SHRI KARTIK ORAON : In view of mushroom growth of political parties in the country, the country is going to dogs and in view of mushroom growth of trade unions in industry, the industry is going to dogs. I should like to know from the Minister whether they would bring in legislation to restrict and limit the number of trade unions.

MR. SPEAKER : That is much beyond the scope of the present question.

SHRI J. M. BISWAS : According to the recommendation made by the 15th Labour Conference the Government of India decided to effect a merger and stop multiplicity of trade unions in the Railways and with that end in view the Government decided to appoint a judge so that both the trade unions that exist in the railways could be amalgamated into one which should be given recognition. The formula given by Mr. V. V. Giri was that both the trade unions should be amalgamated on secret ballot of the railway employees. It was due to the adamant attitude of the INTUC that the merger did not take place. Today also there are two trade unions in the railways. One is the All India Railwaymen's union and the other is the National Federation of the Indian Railwaymen. Since the railways are the most vital industry in order to maintain peace and give the workers better chance of representation are the Government thinking of effecting a merger of both the trade unions in the railways and recognise one union in one industry ?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : No such proposal is under the consideration of the Government.

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : May I know whether the National Commission on Labour has submitted its report sometime back ? May I ask specifically whether the Government have accepted the principle of setting up an industrial relations commission or whether they will wait till the national commission on labour and the different States have expressed their opinion thereon?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : It has been discussed—the question of industrial relations commission in the recent Indian Labour Conference and we discussed it with the State Ministers as well. The consensus was against setting up of such a commission. But we are still considering and requesting all other parties to give their opinion on this matter.

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : Was any alternative suggestion given?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : They think it should be prevalent as it is.

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपराधिक चलचित्रों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध

*393. **श्री देवेन सेन** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने हिन्दी तथा अंग्रेजी के अपराधिक चलचित्रों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) क्या सरकार का विचार सेंसर बोर्ड द्वारा पास किये जा रहे ऐसे चलचित्रों तथा उनके प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) No, Sir.

(b) In view of the directions issued by the Government to the Central Board of Film